न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– मूल चन्द आर.ए.एस.

अपील संख्या 2018/00439 (287/2018) 223 आरटीएक्ट

1. कर्मजीत कौर पुत्री पालासिह पत्नी मेघासिंह जाति जटसिख निवासी पक्का सहारणा तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. मलकीतकोर पुत्री पालासिंह पत्नी जोगेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी बहलोल नगर तहसील व जिला हनुमानगढ
3. करनैल कौर पुत्री पालासिंह पत्नी मलकीत सिह जाति जटसिख निवासी मलकोका तहसील व जिला हनुमानगढ। –अपीलाण्ट

बनाम

1. भजनसिंह } पिसरान पालासिंह जाति जटसिख निवासी खोसेवाला तहसील
2. गुरदेवसिह } पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
3. कुलवीर सिह पुत्र गुरदेव सिंह
4. चरणो पुत्री पालासिंह पत्नी साधूसिंह जाति जटसिख निवासी हांसलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
5. स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा। –रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 03.02.2017 सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा प्र. सं. 8/2017 बअनवानी भजनसिंह आदि बनाम पालासिह

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

श्री सोहनलाल सहारण अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं. 2, 3,
श्री खुशकरणसिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 5

निर्णय दिनांकः–01.08.2019

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 3 वादीगण ने सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष खाता विभाजन एव उद्घोषणा का दावा प्रस्तुत कर वाद पत्र. की मद सं. 4 की 'क' से 'ग' में वर्णित अनुसार कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार की उद्घोषणा एवं मद संख्या 4 'क' में अंकित भूमि का खाता तकसीम वादीगण का प्रतिवादी संख्या 1 से अलग किये जाने का अनुतोष चाहा जो अपीलाधीन निर्णय से स्वीकार कर दावा वादीगण डिक्री किया गया है, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने बतौर तृतीय पक्ष यह अपील प्रस्तुत की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं थी। अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट सगे भाई बहिन हैं एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

उनके पिता पालासिंह की भूमि में सबका बहिस्सा बराबर का हक है। इसलिए अपीलाण्ट ने यह अपील बतौर तृतीय पक्ष प्रस्तुत की है। प्रश्नगत भूमि पैतृक होने के आधार पर अपीलाधीन निर्णय से रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 4 ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्राप्त की है जिसमें अपीलाण्ट को पक्षकार नही बनाया गया। इसलिए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किये जाने का कथन किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि भजनसिंह वगैरह ने अपने पिता के विरूद्ध दावा पेश किया था। पिता पालासिह फौत हो चुका है। दावा घरू विभाजन के आधार पर प्रस्तुत किया था । विवादग्रस्त भूमि के अलावा पालासिंह की और भी भूमियॉ हैं। अपीलाण्ट को यदि पालासिंह की भूमि में से हक चाहिए तो वह उससे प्राप्त कर सकता है। पालासिंह ने विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत राजीनामा में अन्य भूमि होने का भी हवाला दिया है इसलिए अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य है जो खारिज की जावे।
5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।
6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
7. अपीलाण्ट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उन्हें पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण बतौर तृतीय पक्ष प्रस्तुत की है एवं बतौर तृतीय पक्ष अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति इस आधार पर चाही है कि अपीलाण्ट्स का पालासिंह की भूमि में जन्म से अधिकार है अपीलाण्ट पालासिंह के वारिसान हैं इस सम्बन्ध में उनके द्वारा अपील में वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत 25.07.2018 प्रस्तुत किया है। उपरोक्त परिस्थिति में अपीलाण्ट्स को न्यायहित में बतौर तृतीय पक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
8. जहां तक अपील मियाद बाहर प्रस्तुत किये जाने का प्रश्न है अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट पक्षकार नहीं थे। न्यायालय के समक्ष उन्होंने आवेदन पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम सशपथ पत्र प्रस्तुत किया है जिसपर विश्वास न किये जाने का हमारे समक्ष कोई कारण उपलब्ध नहीं है तथा अपील प्रकरण का निस्तारण गुणागवुर्ण पर श्रेयस्कर होने के कारण अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।
9. जहां तक गुणागवुण का प्रश्न है रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 3 ने दावा उद्घोषणा एवं खाता विभाजन का अपने पिता पालासिंह के विरूद्ध प्रस्तुत कर प्रश्नगत भूमि को पैतृक सम्पति होना कथित करते हुए भूमि का अच्छी मंदी के हिसाब से घरू बंटवारा होने के आधार पर अपीलाण्ट को बिना पक्षकार बनाये प्रस्तुत किया है जिसमें दिनांक 31.01.2017 को वादीगण एवं प्रतिवादी के द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया एवं राजीनामा के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया गया है। उभयपक्ष प्रश्नगत भूमि पैतृक सम्पति होना स्वीकार करते हैं तथा पैतृक सम्पति में हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 से पुत्रियों को पुत्रों के समान अधिकार दिया गया है। अपीलाण्ट का पुत्रीयॉ होने के कारण अपने पिता की प्रश्नगत भूमि में हक व हिस्सा निहित है एवं प्रकरण में आवश्यक पक्षकार हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट पक्षकार नहीं होने से अपना पक्ष प्रस्तुत करने में असमर्थ रही है। अपीलाधीन निर्णय अपीलाण्ट्स को बिना साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किये एवं बिना पक्षकार बनाये पारित किया गया है जो उचित प्रतीत नहीं होता है। इसलिए अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं प्रकरण उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.02.2017 प्रकरण संख्या 8/2017 बअनवानी भजनसिंह आदि बनाम पालासिह आदि निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलाण्ट्स को जवाब साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मूल चन्द आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official